न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत फोलोअप कैम्प कोर्ट फागी

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 266/14 पुनः दर्ज सं.: 583/16

दर्ज दिनांकः 24/12/14 पुनः 30/08/16

निर्णय दिनांक : 16/05/2018

1. श्रीमती गीता तोषनीवाल आयु 61 वर्ष धर्मपत्नि श्री भगवान सहाय तोषनीवाल

2. श्रीमती कविता तोषनीवाल आयु 37 वर्ष धर्मपत्नि श्री प्रमोद तोषनीवाल

समस्त जातियानः महाजन, निवासीयानः ग्राम मैन्दवास, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल निवासीः प्लॉट संख्या बी–50, देव नगर, टोंक रोड, जयपुर।

---वादीगण

बनाम

1. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री देव सिंह जाति राजपूत, निवासीः ग्राम मैन्दवारा, तहसील फागी, जिला जयपुर हाल निवासीः मैन्दवारा हाऊस, गोयल कलर लैब के ऊपर, नेहरू बाजार, जयपुर।

2. श्री पन्नालाल जाट पुत्र मूलचन्द जाट जाति जाट निवासीः ग्राम मैन्दवारा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फागी तहसील फागी, जिला जयपुर।

4. श्रीमान भार साधक अधिकारी, पुलिस थाना फागी, जिला जयपुर।

---प्रतिवादीगण

वाद बाबत पत्थरगढी, दुरुस्ती नक्शा ट्रेस, नक्शा तरमीम एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner

उपस्थितः

श्री पी.सी. शर्मा एडवोकेट

श्री बी.पी. शर्मा एडवोकेट

विद्वान अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांकः 16/05/2018

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद बाबत पत्थरगढी, दुरूस्ती नक्शा, नक्शा तरमीम एवं स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि राजस्थान प्रान्त के जिला जयपुर की तहसील फागी के भू–अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र चौरू एवं पटवार हल्का गैन्दवास के राजस्व ग्राम गैन्दवास में जमाबंदी संवत् 2068-2071 मुताबिक पुरानी खाता संख्या 73 व नई खाता संख्या 75 के अंतर्गत कृषि भूमि खसरा नंबर 1710/2 पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 26.12.2002 अनुसार खसरा नंबर 1710 मिन रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा किस्त बीड स्थित है जिसकी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 के नाम दर्ज व अंकित है जो उक्त भूमि वादी संख्या 1 ने पूर्व खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 26.12.2002 को पुस्तक संख्या 1 पृष्ठ संख्या 117 व अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 एवं अतिरिक्त जिल्द संख्या 259 के पृष्ठ संख्या 92 से 96 एवं पंजीयन क्रमांक 678 पर उपपंजीयक फागी द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र के जरिये सप्रतिफलार्थ वास्तविक एवं भौतिक कब्जे की प्राप्ति एवं साफ सुथरे खातेदारी अधिकारो के साथ खरीद की गई थी जिसे आगे चलकर वादी संख्या 1 के कब्जो काश्त व खातेदारी की भूमि शब्द से संबोधित किया गया है और मौके पर वादी संख्या 1 द्वारा कब्जा वास्तविक व भौतिक रूप से प्राप्त कर लिया गया था जिसमें वादी संख्या 1 ही बहैसियत खातेदार निर्बाध व निरन्तर काबिज काश्तकार एवं खातेदार चली आ रही है जिसके संबंध में तमाम अधिकार बहैसियत खातेदार वादी संख्या 1 को प्राप्त है। राजस्व ग्राम गैन्दवास में ही जमाबंदी संवत् 2068–2071 अनुसार पुरानी खाता संख्या 32 व नई खाता संख्या 32 के अंतर्गत कृषि भूमि खसरा नंबर 1711/1 रकबा 23 बीघा 06 बिस्वा किस्म बीड, खसरा नंबर 2761/1702 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा किस्म बीड, खसरा नंबर

अधिकारी (जयपुर)

2772/1704 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा किरम बीड, खसरा नंबर 2776/1706 रकबा 01 बिस्वा किस्म बंजड--प्रथम पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 26.12.2002 अनुसार क्रमशः खसरा नंबर 1711 गिन रकबा 23 बीघा 06 बिस्वा किस्म बीड, खसरा नंबर 1704 गिन रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा किरम बीड, खसरा नंबर 1706 गिन रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा किस्म बीड, खसरा नंबर 1706 गिन रकबा 01 बिस्वा किस्म बंजड अव्वल कुल चार किता कुल रकबा 26 बीघा 08 स्थित है, जिसकी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 2 के नाम दर्ज व अंकित है जो कि उक्त भूमि वादी संख्या 2 ने पूर्व खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 26.12.2002 को पुस्तक संख्या 1 पृष्ठ संख्या 116 व अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 एवं अतिरिक्त जिल्द संख्या 259 के पृष्ठ संख्या 87 से 91 एवं पंजीयन क्रमांक 677 पर उपपंजीयक फागी द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र के जरिये सप्रतिफलार्थ वास्तविक एवं भौतिक कब्जे की प्राप्ति एवं साफ सुथरे खातेदारी अधिकारो के साथ खरीद की गई थी। वादी संख्या 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है और मौके पर वादी संख्या 2 द्वारा कब्जा वास्तविक व भौतिक रूप से प्राप्त कर लिया गया था जिसमें वादी संख्या 2 ही बहैसियत खातेदार निर्बाध व निरन्तर काबिज काश्तकार एवं खातेदार चली आ रही है जिसके संबंध में तमाम अधिकार बहैसियत खातेदार वादी संख्या 2 को प्राप्त है। वादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि विधिवत विभाजनशुदा भूमि है जिसमें वादी संख्या 1 व 2 ने श्री लक्ष्मण गुर्जर आयु 60 वर्ष पुत्र श्री सूरजकरण जाति गुर्जर, निवासी ग्राम मैन्दवास, तहसील फागी जिला जयपुर बुआई जुताई हेतु अनुज्ञा के आधार पर अपना सीरी बना रखा है जिसका केवल बुआई व जुताई में ही तयशुदा हिस्सा है। वादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार कब्जे सहित खातेदारी अधिकारो में नहीं है। वादी संख्या 1 व 2 महिला है एवं दोनो ही अब अपने उक्त ग्राम मैन्दवास के स्थान पर स्थाई तौर पर जयपुर शहर में ही उक्त पते पर निवास करती है। इस कारण से भूमि में पैदावार हेतु अनुमति के आधार पर श्री लक्ष्मण गुर्जर को अपना सीरी बना रखा है ताकि भूमि में समय समय पर बुआई, जुताई का कार्य किया जाकर सीर श्री लक्ष्मण गुर्जर भी अपने मेहनताने के रूप में तयशुदा उपज लेता रहे और वादीगण को भी तयशुदा उपज की

अधिकारी
(जयपुर)

Scanned by CamScanner

प्राप्ति हो सके। इस प्रकार वादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर वादीगण का ही अर्जन दिनांक से निर्बाध व निरन्तर भौतिक कब्जा चला आ रहा है। वादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि जो कि विधिवत विभाजनशुदा है के पंजीकृत विक्रय पत्र में वर्णित खसरा नंबरान के स्थान पर वर्तमान में खसरा नंबर 1710 मिन रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा के खसरा नंबर 1710/2 रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा नियत है जो कि वादी संख्या 1 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है एवं खसरा नंबर 1711 मिन रकबा 23 बीघा 06 बिस्वा के खसरा नंबर वर्तमान में खसरा नंबर 1711/1 रकबा 23 बीघा 06 बिस्वा के रूप में व खसरा नंबर 1702 मिन रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा के खसरा नंबर वर्तमान में 2761/1702 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा के रूप में एवं खसरा नंबर 1704 मिन रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा के खसरा नंबर वर्तमान में 2772/1704 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा के रूप में एवं खसरा नंबर 1706 मिन रकबा 01 बिस्वा के खसरा नंबर वर्तमान में 2776/1706 रकबा 01 बिस्वा कुल 04 किता कुल रकबा 26 बीघा 08 बिस्वा के रूप में नियत है जो कि उक्त भूमि वादी संख्या 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। वादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि विधिवत विभाजनशुदा भूमि है जिसमें अन्य कोई सहखातेदार नहीं है जिसकी वादी संख्या 1 व 2 भी उपरोक्तानुसार सोल/एकल काबिज, काश्तकार एवं खातेदार है। वादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि के नक्शे की तरमीम को छोडकर विधिवत विभाजन का कार्य वादीगण द्वारा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद किये जाने से पूर्व ही सम्पन्न हो चुका था किन्तु जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है नक्शे में तरमीम का कार्य बकाया चला आ रहा था जो कि वर्तमान में भी बकाया है जिसकी आड में प्रतिवादी संख्या 1 जो कि राजस्व ग्राम गैन्दवारा, तहसील फागी जिला जयपुर में ही स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 1711/2 व 2762/1702 की भूमि का अभिलेख अनुसार काश्तकार है ने व उसके सीरी प्रतिवादी संख्या 2 के साथ सोची समझी साजिश व चाल के तहत वादी संख्या 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1711/1 रकबा 23 बीघा 06 बिस्वा में से पश्चिमी दिशा की लगभग 07-08 बीघा भूमि पर जबरन व गैर कानूनन कब्जा किये जाने की नियत से दिनांक 16.07.2014 को ट्रेक्टर से पिलाऊ चलाने पर उतारू

अधिकारी
(जयपुर)

व आबादी के साथ हो गये और वादीगण के सीरी श्री लक्ष्मण गुर्जर द्वारा
उसका विरोध करने पर प्रतिवादीगण लाठी व सरियो से लेस होकर
वादीगण के उक्त सीरी श्री लक्ष्मण गुर्जर सहित उनके परिजन व वादीगण
व उनके परिजन को गंभीर क्षति व उपहति कारित करने और यहां तक कि
ट्रेक्टर चढाकर हत्या कारित कर दिये जाने की धमकियो के अधीन
प्रतिवादीगण दिनांक 16.07.2014 को खसरा नंबर 1711/1 रकबा 23 बीघा
06 बिस्वा भूमि में पश्चिमी दिशा की तरफ लगभग 07–08 बीघा भूमि पर
जबरन व गैर कानूनन कब्जा करने की नियत से पिलाऊ काटने में सफल
हो गये जिस पर वादीगण का मजबूर होकर विधिक हितो की रक्षार्थ
माननीय सक्षम न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरुद्ध परिवाद पत्र प्रस्तुत कर
पुलिस थाना फागी में अंतर्गत धारा 420, 406, 120बी, 447, 506 भारतीय
दंड संहिता के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज कराना पडा जो कि पुलिस
थाना फागी में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध दर्ज कराया गया
फौजदारी मुकदमा अन्वेषणाधीन है इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा
वादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि में जबरन कब्जा
करने व वादीगण सहित उनके सीरी श्री लक्ष्मण गुर्जर को बेदखल करने
की धमकियां दिये जाने के आपराधिक कृत्यो को लगातार अंजाम दिया जा
रहा है जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है।
प्रतिवादीगण उक्त राजस्व ग्राम मैन्दवास के स्थानीय निवासी है साथ ही
प्रतिवादी संख्या 1 के उक्त ग्राम के राजपूत परिवार से होने के कारण से
प्रतिवादी संख्या 1 का पुलिस महकमे सहित प्रशासनिक व राजनैतिक
महकमे में अच्छा खासा प्रभाव व दबदबा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 भी
अपने उक्त ग्राम में अपना अच्छा खासा दबदबा रखता हैं और प्रतिवादी
संख्या 2 के पास बाहुबल होने के साथ ही आपराधिक व झगडालु प्रवृति
के व्यक्ति है और ऐसे व्यक्तियो से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दोनो की
जान–पहचान है जिसके कारण से प्रतिवादीगण द्वारा वादी संख्या 1 व 2
के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर जबरन व गैर कानूनन कब्जा
करना व वादीगण को उनके कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि से बेदखल
करना कोई बडी बात नहीं है जबकि वादीगण महिला होने के साथ ही
महाजन परिवार से है जो कि शांतिपूर्वक जीवन निर्वाह करने में विश्वास
रखते है और वर्तमान में जयपुर में निवास करते है ऐसे में वादीगण को

अधिकारी
(जयपर)

मजबूर होकर माननीय न्यायालय के समक्ष यह वाद प्रस्तुत करना पड़ा है ताकि वादीगण अपने कब्जे, काश्त व खातेदारी की भूमि से प्रतिवादीगण द्वारा वंचित व बेकब्जा नहीं किये जा सके और वादीगण के विधिक हितो की रक्षा हो सके। प्रतिवादीगण द्वारा बार–बार एक ही तथ्य को दोहराया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे, काश्त व खातेदारी की खसरा नंबर 1711/2 व 2762/1702 की भूमि उक्त वादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि की भूमि में मिली हुई है ऐसे में प्रतिवादीगण को वादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि में से भूमि की कमी पूर्ति करने का अधिकार है यद्यपि भूमि विधिवत विभाजितशुदा है किन्तु नक्शे में तरमीम व मौके पर पत्थरगढी नहीं होने का अनुचित फायदा उठाते हुये प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण पर प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि को अपनी भूमि को मिलाने के मिथ्या आक्षेप व लांछन लगाते हुये वादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर जबरन व गैर कानूनन कब्जा करने वादीगण को बेकब्जा करने पर उतारू है इस कारण से वादीगण ने वादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि में पत्थरगढी कायम किये जाने व नक्शे में तरमीम किये जाने के सद्भावना पूर्वक आशय से माननीय के समक्ष यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है ताकि प्रतिवादीगण उक्त मिथ्या आक्षेप व लांछन के आधार पर वादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि में जबरन व गैर कानूनन कब्जा करने व वादीगण को बेकब्जा करने से बाज आवे और अनावश्यक मुकदमेबाजी का अंत हो गये और वादीगण वादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि को शांतिपूर्वक अपने उपयोग उपभोग में लेते हुये उससे तमाम प्रकार के फायदे उठा सके। उपरोक्तानुसार प्रतिवादीगण के अनुचित व आपराधिक कृत्यो द्वारा वादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि मे जबरन व गैर कानूनी कब्जा करने से बचाने एवं तमाम विवादो का अंत किये जाने के सदआशय से वादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि के पत्थरगढी व नक्शे की तरमीम कराने का वादीगण को पूर्ण अधिकार है साथ ही मामला प्रथम दृष्टया ही प्रतिवादीगण को चिरस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने योग्य है अन्यथा वादीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी किसी भी प्रकार से व किसी भी रूप से भरपाई संभव नहीं हो पावेगी तथा सुविधा

Scanned by CamScanner

के संतुलन की दृष्टि से भी प्रतिवादीगण को चिरस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना आवश्यक एवं लाजमी है चूंकि प्रतिवादीगण को चिरस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं फरमाये जाने की सूरत में वादीगण को अत्यधिक असुविधा एवं कष्ट होने के साथ ही अत्यधिक नुकसानी कारित होगी जबकि प्रतिवादीगण को चिरस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने की सूरत में प्रतिवादीगण को तनिक मात्र भी असुविधा एवं नुकसानी कारित नही होगी इस लिहाज से भी प्रतिवादीगण को चिरस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना आवश्यक एवं लाजमी है।

वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि की चारो दिशाओं में पत्थरगढी किये जाने के प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देश फरमाये जावे। वादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि विधिवत विभाजनशुदा अनुसार नक्शे की दुरूस्ती एवं नक्शे की तरमीम किये जाने के आदेश फरमाये जावे। वादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि में वादीगण के उपयोग उपभोग व काश्त व कब्जे एवं खातेदारी अधिकारो में प्रतिवादीगण सहित उनके पारिवारिक सदस्यो अभिकर्ता, मुख्त्यारआम व मुख्त्यारखास सर्वेन्ट्स आदि को किसी प्रकार की दखलअंदाजी कब्जा, अतिक्रमण व वादीगण को बेकब्जा नहीं करने व ना ही किसी अन्य से कराये जाने की चिरस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। वादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि के चारो तरफ पत्थरगढी को किसी प्रकार से नुकसानी पहुंचाने व ना ही किसी अन्य से पहुंचाने की चिरस्थायी निषेधाज्ञा से भी प्रतिवादीगण सहित उनके पारिवारिक सदस्यों, वारिसान, मुख्त्यारआम, मुख्त्यारखास, सर्वेन्ट्स आदि को पाबंद फरमाया जावे। वादी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पूर्व में ही विभाजनशुदा अनुसार नक्शे में तरमीम के विरूद्ध प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का वादीगण के साथ लडाई, झगडा नही करने एवं वादीगण सहित उनके सीरी श्री लक्ष्मण गुर्जर व उनके पारिवारिक सदस्यों को किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की नुकसानी व उपहति व जानमाल की क्षति नहीं पहुंचाने व ना ही किसी अन्य से पहुंचवाने हेतु भी प्रतिवादीगण सहित उनके पारिवारिक सदस्यो,

...ण्ड अधिकारी
...(जयपुर)

Scanned by CamScanner

वारिसान, मुख्त्यारआम, मुख्त्यारखास सर्वेन्ट्स आदि को चिरस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण मय हर्जा-खर्चा डिक्री फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। दिनांक 12.08.2016 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध बावजूद प्रॉपर तामील न्यायालय मे अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गयी। पत्रावली न्यायालय सहायक कलक्टर फागी को श्रवणाधिकार नहीं होने के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी के यहां स्थानान्तरित की गयी। दिनांक 30.08.2016 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 06.12.2016 को प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार राज0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 फोर्मल पक्षकार है जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किये कि मुताबिक नक्शा ट्रेस आराजी खसरा नंबर 1702, 1711, 1710, 1709, 1708, 1706, 1704 के मध्य कोई सीमा रेखा दर्शित नहीं है जिसके कारण वादिया के खसरा नंबरान का निश्चत किया जाना संभव नहीं है। वादीया द्वारा पत्थरगढी व नक्शे में तरमीम बाबत दावा पेश किया है किन्तु मौके पर व नक्शे में वाद में वर्णित खसरान नंबरान के मध्य सीमा लाईन नहीं होने के कारण सीमाज्ञान भी नहीं हुआ है ऐसी अवस्था में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आराजीयात के खसरा नंबरो के मध्य सीमा रेखा कायम होने के उपरांत ही वादिया के खसरा नंबरो का नक्शे में अंकन किया जाना संभव है उससे पूर्व वादिया के खसरा नंबरान की कार्यवाही तरमीम किया जाना संभव नहीं है ऐसी अवस्था में पत्थरगढी किया जाना भी संभव नहीं है।

वकील पक्षकारान की बहस सुनकर, बहस पर मनन कर एवं पत्रावली के समस्त तथ्यो पर गौर करने के पश्चात दिनांक 20.12.2016 को न्यायालय द्वारा वादी के वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार फागी को आदेशित किया गया कि खसरा नंबर 1710/2 रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा ग्राम मेन्दवास तहसील फागी जिला जयपुर एवं खसरा नंबर 1711/1 रकबा 23 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 2761/1702 रकबा 1

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner

बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 2772/1704 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 2776/1706 रकबा 01 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 26 बीघा 08 बिस्वा ग्राम मैन्दवास तहसील फागी जिला जयपुर की मौका स्थिति एवं प्रार्थीगण व पडौसी काश्तकारान के कब्जे काश्त अनुसार नक्शे कुरैजात तैयार कर दो-दो प्रतियो में भिजवाये। दिनांक 04.05.2018 को तहसीलदार फागी से नक्शे कुरैजात प्राप्त हुये शामिल पत्रावली किये गये।

पत्रावली कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई। वकील वादी व पैरोकार राज0 उप0।

पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी ने तहसीलदार फागी से प्राप्त नक्शे कुरैजात अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। नक्शे कुरैजात प्राथमिक डिक्री निर्णयानुसार प्राप्त हुये। इस कारण न्यायहित में वादी वाद नक्शे कुरैजात अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि नक्शे कुरैजात अनुसार वादीगण की आराजीयात पर पडौसी काश्तकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी की कार्यवाही करे एवं नक्शे कुरैजात अनुसार राजस्व रिकॉर्ड, नक्शा में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16/05/2018 को राजस्व लोक अदालत फोलोअप कैम्प कोर्ट फागी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)